

3 अक्टूबर, 2008 को पूर्वाह्न 10.00 बजे दि ताज पैलस होटल, नई दिल्ली में टी. ई. आर. आई (टेरी) तथा पेट्रोफेड द्वारा आयोजित भारत ऊर्जा सम्मेलन (इंडिया एनर्जी कान्फ्रेन्स) में माननीय उपराष्ट्रपति श्री मो. हामिद अंसारी का अभिभाषण

मैं भाषण के आरंभ में ही एक बात स्पष्ट तौर पर स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं दो तरह की भावनाओं से उत्प्रेरित हूँ: मैं आज यहां भारत ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी मैं संकोच महसूस कर रहा हूँ क्योंकि इसकी विषय वस्तु इतनी अधिक विशिष्ट है कि मैं इसमें शायद ही कुछ सार्थक योगदान कर पाऊँ।

फिर मैंने आपका निमंत्रण क्यों स्वीकार किया? इसका उत्तर आंशिक रूप से विषय के मूल में और आंशिक रूप से सामान्य तरह के सम्मेलनों से कुछ हटकर करने तथा भारतीय ऊर्जा बाजार की पेचीदगियों की वर्तमान जानकारी एवं समझ को प्रस्तुत करने में समाया हुआ है।

यह सभा भारत और विदेश के सरकारी एवं निगमित क्षेत्र के निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को एक साथ लाई है। विश्व की तीव्रतम प्रगति करने वाली अर्थ व्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था के रूप में देश की ऊर्जा संबंधी कार्यनीति हमारे विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस सम्मेलन में विचार विमर्श प्रासंगिक होगा।

देवियो और सज्जनो,

ऊर्जा के विभिन्न रूपों के विकास के आधार पर आधुनिक सभ्यता का उदय और विकास हुआ है। हाल के इतिहास में जिस किसी राष्ट्र ने अपनी छाप छोड़ी है। उसने अपनी प्रगति तथा समृद्धि हेतु खोज एवं आविष्कार द्वारा ऊर्जा स्रोतों के उत्पत्ति स्थान का सफलतापूर्वक दोहन किया है। यही बात भारत के लिए भी सत्य है क्योंकि हम आने वाले दशकों में अपने विकास लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।

'विकास हेतु ऊर्जा' बहस बहुआयामी है और इसे होना भी चाहिए। ऊर्जा तक पहुंच तथा आपूर्ति की सुरक्षा इसका एक पहलू है; समाज के सभी वर्गों को ऊर्जा की उपलब्धता इसका एक अन्य पहलू है। ध्यान दिए जाने योग्य एक और बात ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरणीय संपोषणीयता है।

योजना आयोग की पारिख समिति प्रतिवेदन में अनुमान लगाया था कि 2030 तक 8 प्रतिशत की विकास दर को बनाए रखने के लिए हमें 2003-04 के स्तर की तुलना में अपनी प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति को तीन से चार गुणा बढ़ाने और विद्युत उत्पादन क्षमता तथा आपूर्ति को पांच से छह गुणा बढ़ाना जरूरी है।

आज हमारी स्थिति क्या है?

आज हमारी प्राथमिक ऊर्जा खपत की दृष्टि से, इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक, 2008 के अनुसार देश में प्राथमिक ऊर्जा खपत की 53 प्रतिशत की पूर्ति कोयले से, 31 प्रतिशत तेल से, 8 प्रतिशत प्राकृतिक गैस से, 6.8 प्रतिशत पनबिजली समेत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से और 1.2 प्रतिशत नाभिकीय विद्युत से होती है। इस प्रतिवेदन में लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक इस मिश्रण में केवल प्राकृतिक गैस तथा नाभिकीय ऊर्जा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा जिनका हिस्सा बढ़कर क्रमशः 12 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत हो जाएगा।

आपका सम्मेलन हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के विकास के सभी पहलुओं पर बहुत समय देगा। अपनी ओर से, ऊर्जा के विषय पर एक व्यापक चर्चा के संबंध में, मैं कुछ सवाल उठाना चाहूंगा:

- हमारी ऊर्जा नीति की दृष्टि अथवा सोच क्या है और हम किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं?
- क्या मांग-आपूर्ति समीकरण में, उन हस्तक्षेपों को कोई नीतिगत तरजीह दी गई है जो ऊर्जा की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं?
- ऊर्जा के मामले में दक्षता को बढ़ाने हेतु और मांग संबंधी प्रबंधन हेतु नीतिगत बाधाएँ क्या-क्या हैं?

- हमारी ऊर्जा के सांचे में नवीकरणीय ऊर्जा की क्या भूमिका होनी चाहिए और उनके प्रोत्साहन में क्या बाधाएँ हैं?

॥

सरकार की ऊर्जा-नीति के पीछे तीन प्रस्ताव हैं:

- सभी क्षेत्रों की ऊर्जा-मांग की, प्रतिस्पर्धी दर पर आपूर्ति करना।
- यदि आवश्यक हुआ तो गरीबों और कमजोर वर्गों के लाभ हेतु लक्षित राजसहायता के माध्यम से सभी परिवारों के जीवित रहने के लिए उनकी मूलभूत ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना।
- तकनीकी रूप से सक्षम, आर्थिक रूप से व्यावहारिक और पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी तरीके से न्यूनतम लागत पर सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक प्रकार की ऊर्जा के माध्यम से इनको प्राप्त करना।

एक आदर्श माहौल में, यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि इन ऊर्जा नीति से संबंधित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए नीतिगत पहल आपूर्ति तथा मांग दोनों स्तरों पर समान दिखें।

आपूर्ति पक्ष के संबंध में, सरकार आंतरिक एवं वैश्विक दोनों स्तरों पर ऊर्जा संसाधनों के आधार को बढ़ाकर तथा ऊर्जा-स्रोतों में विविधता लाकर, परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों ऊर्जा विकल्पों की खोज करने में लगी हुई है।

दूसरी ओर, मांग प्रबंधन अधिक कठिन है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की उन्नत ऊर्जा दक्षता और निम्नतर ऊर्जा तीव्रता शामिल होनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि आपेक्षिक ईंधन कीमतें, ईंधन, ऊर्जा प्रारूप और प्रौद्योगिकी के सही चुनाव का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

मांग प्रबंधन पर ध्यान देने से प्रतिस्पर्धी बाजारों के लिए दरवाजे खुलेंगे जहां कमजोर वर्गों को स्पष्ट रूप से सरकारी सहायता प्राप्त होगी और संसाधन आवंटन तथा मूल्य निर्धारण निर्णय बाजार द्वारा तय होंगे और प्रभावी विनियमन के अध्यक्षीन

होंगे। जैसाकि पारिख समिति ने उल्लेख किया है, राज्य के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य आदर्श रूप से प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से पूरे किए जाने चाहिए।

मार्गन स्टेनले ने हाल ही में यह अनुमान लगाया है कि दुनिया की आधी आबादी को राजसहायता प्राप्त होती है। व्यावहारिक तौर पर, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का एक चौथाई पेट्रोल बाजार मूल्य से कम दर पर बेचा जाता है।

ईंधन पर मिलने वाली राजसहायता राजनीतिक रूप से संवेदनशील होती है और सरकार की वित्तीय स्थिति पर तथा ऊर्जा उपयोग की दक्षता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः सभी हितार्थियों को यह पता करने की जरूरत है कि क्या गरीब तथा कमजोर परिवारों को बचाने के लिए ईंधन संबंधी राजसहायता सर्वाधिक प्रभावी उपाय है।

पाँच उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में ईंधन संबंधी राजसहायता पर आई एम एफ के 'वर्किंग पेपर' में यह उल्लेख किया गया है कि सर्वाधिक धनी 20 प्रतिशत परिवारों ने औसतन 42 प्रतिशत कुल ईंधन संबंधी राजसहायता प्राप्त की जबकि निचले स्तर के 20 प्रतिशत परिवारों को 10 प्रतिशत से कम राजसहायता प्राप्त हुई।

इस प्रकार पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी के लिए सार्वदेशिक तथा एक समान राजसहायता के कारण काफी अधिक लाभ उच्चतर आय वर्गों को प्राप्त हो गया। इससे महत्वपूर्ण अवसर का भी घाटा हो गया क्योंकि इन संसाधनों का सामाजिक क्षेत्रों में बड़े निवेश के रूप में उपयोग किया जा सकता था।

आदर्श स्थिति फिर भी, हमेशा सम्भव नहीं होती। गैर-ईंधन राजसहायता वाली व्यवस्था संबंधी में, निर्धारित ईंधन राजसहायता प्रदान करना, अथवा गरीब परिवारों में प्रत्यक्ष स्थानांतरण करना ऐसे प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र की मांग करता है जो गरीबों की वास्तविक आमदनी की रक्षा कर सके। यह अभी तक नहीं हो पाया है।

III

ऊर्जा-सुरक्षा, ऊर्जा-संरक्षण से गहन रूप से सम्बद्ध है। ऊर्जा क्षेत्र की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को लम्बी निर्माण-पूर्व तैयारी अवधि एवं भारी पूंजीगत परिव्यय की

आवश्यकता होती है। पारेषण हानि और अवसर लागत को ध्यान में रखते हुए एक मेगावाट बिजली बचाने का महत्व एक मेगावाट बिजली के उत्पादन से कहीं अधिक है। ऊर्जा संरक्षण प्रौद्योगिकी के बारे में लोगों को जानकारी है और इसका उपयोग करने वाले सभी क्षेत्रों में इनको लागू किया जा सकता है।

इसे अब तक हासिल नहीं किया गया है। हमारे विकास की ऊर्जा-दक्षता में गिरावट आयी है और अनुमान है कि 70 के दशक के आरम्भ में ऊर्जा-उत्पादन का जो स्तर था, वह लगभग आधा रह गया है। वर्तमान में, हम क्रय शक्ति समतुल्यता के अर्थ में, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रति डॉलर 0.16 कि.ग्रा. तेल के समतुल्य का उपभोग करते हैं। यह चीन से बहुत कम है जहां उपभोग 0.23 कि.ग्रा. तेल के समतुल्य है, अमेरिका के मामले में यह 0.22 है और वैश्विक औसत 0.21 है।

इसके अलावा, वर्तमान ऊर्जा संबंधी आकलन केवल बाजार के माध्यम से किए गए ऊर्जा-उपयोग को ही हिसाब में लेते हैं जबकि भारत के 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवार ऊष्मा प्राप्त करने एवं खाना पकाने के लिए अभी भी लकड़ी और गाय के गोबर जैसे गैर-बाजार ऊर्जा स्रोतों पर ही मुख्य रूप से निर्भर करते हैं।

इस प्रकार तेजी से हो रहे विकास, बेहतर ऊर्जा अवसंरचना तथा बढ़ती आमदनी के माहौल में ग्रामीण भारत के कई परिवार बाजार ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा-चालित उपकरणों तक अपनी पहुंच बनाना चाहेंगे जिससे कि हमारे विकास की ऊर्जा दक्षता को और कम करने पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य हो जाएगा।

ऊर्जा की मांग के उभरते प्रतिरूप को पूरा करने के लिए क्या किया जा रहा है?

इस साल जून में, प्रधानमंत्री ने उद्योग में ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना को जारी किया। 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में ऊर्जा दक्षता संबंधी उपायों को लागू करने के लिए कानूनी अधिदेश का उपबंध किया गया है और यह अनुमान है कि इन उपायों के परिणामस्वरूप 2012 में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10,000 मेगावाट की बचत होगी।

सरकार भी प्रमाणित ऊर्जा बचत के व्यापार हेतु बाजार-आधारित प्रणाली प्रारम्भ करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने हेतु राजवित्तीय उपायों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह देखना बाकी है कि क्या इन कदमों से बिजली के पारेषण और संवितरण में हानि, जो कि वर्तमान में प्राथमिक ऊर्जा उपभोग का 36 प्रतिशत है, पर कोई सार्थक प्रभाव पड़ेगा। यह नोट करने योग्य बात है कि इस संदर्भ में वैश्विक औसत लगभग 28 प्रतिशत है।

IV

अन्त में, हम देश के ऊर्जा मिश्रण के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका पर आते हैं। वर्तमान में, प्राथमिक ऊर्जा उपभोग में इसका हिस्सा 6.8 प्रतिशत है। जल विद्युत ऊर्जा इसका मुख्य संघटक है।

अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा आउटलुक, 2008 के अनुसार, अगले 25 वर्षों में विकासशील देशों में नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग में अधिकांश वृद्धि पनबिजली के क्षेत्र में होने की संभावना है। भारत के मामले में, इसके लिए क्षेत्रीय सहयोग के प्रति नए दृष्टिकोणों की आवश्यकता होगी।

आप लोगों को पता है कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने संबंधी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पर काम कर रही है। नई और नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2005 देशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देती है। इसमें विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाना शामिल है। सरकार ने हाल में जैव-ईंधन संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है जिसका उद्देश्य वर्ष 2017 तक पेट्रोल और डीजल के साथ जैव-ईंधन के सम्मिश्रण को 20% तक बढ़ाना है।

तथापि, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संबंध में इन दो समस्याओं की ओर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

पहली बात यह है कि अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के लिए अत्यधिक भूमि की आवश्यकता होती है। यह विशेष रूप से जैव-डीजल सम्मिश्रण और सौर ताप विद्युत उत्पादन के मामले में सच है। भूमि का इतना बड़ा भूभाग हमारे देश में मिलना कठिन हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि कई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन स्थल से खपत स्थल तक ले जाने में ग्रिड क्षमता संबंधी समस्याओं का सामना कर रही हैं। हमारे लिए या तो वर्तमान विद्युत ग्रिड नेटवर्क को पुनः तैयार करने अथवा राष्ट्रीय ग्रिड से स्वतंत्र केवल अवलंब रूप से नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां शुरू करने हेतु नए उपायों की आवश्यकता है।

देवियो और सज्जनो,

ऊर्जा उपयोग और मानव विकास के बीच प्रत्यक्ष परस्पर संबंध सुस्थापित रहा है। हमारा लक्ष्य विश्वसनीय, वहन करने योग्य, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सामाजिक रूप से स्वीकार्य और पर्यावरणीय रूप से स्थायी ऊर्जा स्रोतों तक पहुंच को सुधारना ही रहना चाहिए। प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग को बढ़ाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है ताकि हमारे नागरिकों को स्वास्थ्य और कल्याण का न्यूनतम स्वीकार्य स्तर प्राप्त हो सके।

मैं यह भी आशा करता हूं कि हाइड्रोजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सम्मेलन की चर्चा हमें प्रभावित करने वाले हाइड्रोजन को व्यापक ऊर्जा मामलों के दायरे के भीतर रखेगी और उपयुक्त नीति विकल्पों को प्रस्तुत करेगी।

इस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं डा. पचौरी को धन्यवाद देता हूं।